रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L -33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 138] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 2001/चैत्र 1, 1923

No. 138] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 2001/CHAITRA 1, 1923

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय**

**(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2001

सा. का. नि. 207 (अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2001 है ।

(2) ये 13 दिसंबर, 1989 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 6 के उपनियम (2) को, 13 दिसंबर, 1989 से प्रारंभ होने वाली अवधि से 24 जून, 1997 तक के लिए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा की प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष की दर पर की जाएगी परंतु इस नियम के अधीन देय पेंशन तथा किसी अन्य पेंशन का संराशित भाग, यदि कोई हो

तो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त किया गया है या जिसको प्राप्त करने का वह हकदार है, को जोड़कर कुल राशि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी ।"

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार की सिफारिशों पर 13 दिसंबर, 1989 से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है । तद्नुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का संशोधन भूतलक्षी प्रभावी अर्थात् 13 दिसंबर, 1989 से संशोधन किया जा रहा है । हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन 25 जून, 1997 से 1450 रु० प्रतिवर्ष की दर से पहले को पुनरीक्षित कर दी गई है और तद्नुसार पूर्वोक्त नियमों को 25 जून, 1997 से और संशोधन किया गया है । इसलिए वर्तमान संशोधन के अनुसार पुनरीक्षण का प्रभाव 13 दिसंबर , 1989 से 24 जून, 1997 तक की अवधि के लिए सीमित होगा ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

[ए. 11014/5/97-एटी]

आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण:**—मूल नियम भारत के राजपत्र अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1015(अ), तारीख 22 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन किए गए :—

(1) सा०का०नि० 425(अ), तारीख 4.4.1988
(2) सा०का०नि० 1046(अ), तारीख 13.12.1989
(3) सा०का०नि० 729(अ), तारीख 19.8. 1992
(4) सा०का०नि० 45(अ), तारीख 31.1.1994
(5) सा०का०नि० 343(अ), तारीख 25.6.1997
(6) सा०का०नि० 472(अ), तारीख 4.8.1998

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

**(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd March, 2001.

G. S. R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals

Act,1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 13th day of December, 1989.

2. In rule 8 of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, for sub-rule (2), the following shall be substituted for the period commencing from the 13th day of December, 1989 upto the 24th day of June, 1997, namely:-

"(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees one thousand four hundred and fifty per annum for each completed year of service:

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of the High Court.".

*EXPLANATORY MEMORANDUM*

The Central Government, on the recommendations of the Government of Himachal Pradesh has decided to revise the pension of Members of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 13th day of December, 1989. Accordingly, the Himachal Pradesh Administrative Tribunal ( Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended retrospectively that is, with effect from the 13th December, 1989. The pension of Members of Himachal Pradesh Administrative Tribunal has already been revised at the rate of Rs. 1450 per annum w.e.f. 25th June, 1997 and accordingly, the aforesaid rules already stand further amended with effect from 25th June, 1997. Therefore, the effect of the revision as per the present amendment shall be limited to the period from 13th December, 1989 to 24th June, 1997.

2. It is certified that no Member of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

[A. 11014/5/97-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.

**Foot Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. G.S.R. 1015(E), dated the 22nd August, 1986 and subsequently amended vide Notification Nos.—

(1) G.S.R. 425(E), dated 4.4.1988.
(2) G.S.R. 1046(E), dated 13.12.1989.
(3) G.S.R. 729(E), dated 19.8.1992.
(4) G.S.R. 45(E), dated 31.1.1994.
(5) G.S.R. 343(E), dated 25.6.1997.
(6) G.S.R. 472(E) dated 4.8.1998

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.